

SDMC - संघ विधान पत्र

1. समिति का नाम -

..... समिति,

राजकीय माध्यमिक विद्यालय , पं० स०
..... जिला - पाँसवाड़ा

2. पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र-

इस समिति का कार्यालय राजकीय माध्यमिक

विद्यालय पं० स० जिला
पाँसवाड़ा है तथा इस समिति का कार्यक्षेत्र समिति
के पंजीकृत कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले
छात्रों के निवास के कुल भौगोलिक क्षेत्र तक रहेगा ,
किन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर एवं
विद्यालय से संबंधित खेल मैदान में ही कराये
जाएंगे।

3. समिति के उद्देश्य -

समिति के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-

(1) संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष
बनाना जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य
शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किए
जा सकेंगे।

(2) संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष
बनाना जिससे राजकीय सहायता एवं अन्य माध्यमों
से आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया
जा सके।

(3) विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों,
सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से फीस/दान
प्राप्त करना।

(4) विद्यालय भवन के विस्तार व अन्य सुविधाओं के
लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित
योजनाओं से संस्था विकाष कोष के योगदान के
आधार पर विकास कार्य करवाना।

(5) अन्य उद्देश्य जिससे संस्था की परिसम्पतियों का
बेहतर उपयोग हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं।

4. कार्य समिति का गठन :-समिति का कार्यभार एक कार्यकारिणी समिति में निहित रहेगा जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्न होंगे :-

क्र.स.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.		प्राधानाचार्य/प्रधानाध्यापक		अध्यक्ष
2.		अभिभावकों में से एससी/एसटी. समुदाय के प्रतिनिधि		2 सदस्य
3.				
4.		अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि		2 सदस्य
5.				
6.		अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि		2 सदस्य
7.				
8.		सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि		1 सदस्य
9.		विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि		1 सदस्य
10.		गणित का अध्यापक प्रतिनिधि		1 सदस्य
11.		पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य		2 सदस्य
12.				
13.		ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) प्रतिनिधि		1 सदस्य
14.		शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि		1 सदस्य
15.		महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य		1 सदस्य
16.		ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षा विद्		1 सदस्य
17.		विज्ञान,मानविकीएवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत) प्रतिनिधि		1 सदस्य
18.		जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी		1 सदस्य
19.		विद्यार्थी प्रतिनिधि		2 सदस्य
20.				
21.		विधायक प्रतिनिधि		2 सदस्य
22.				
23.		प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य-शिक्षक(हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता-उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-मावि में)		सदस्य सचिव

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

क्र.स.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1.		प्राधानाचार्य/प्रधानाध्यापक		
2.		अभिभावकों में से		
3.		एससी/एसटी. समुदाय के प्रतिनिधि		
4.		अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि		
5.				
6.		अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि		
7.				
8.		सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि		
9.		विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि		
10.		गणित का अध्यापक प्रतिनिधि		
11.		पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य		
12.				
13.		ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) प्रतिनिधि		
14.		शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि		
15.		महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य		
16.		ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षा विद्		
17.		विज्ञान,मानविकीएवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत) प्रतिनिधि		
18.		जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी		
19.		विद्यार्थी प्रतिनिधि		
20.				
21.		विधायक प्रतिनिधि		
22.				

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

23.		प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य-शिक्षक(हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता-उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक- मावि में)		
-----	--	--	--	--

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व इन्होंने हमारे सामने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम इस संस्था के सदस्य नहीं हैं।

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी

(नाम, व्यवसाय, पता व पद)

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी

(नाम, व्यवसाय, पता व पद)